

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक 12649 / न्या.लि. / 2020

रायगढ़, दिनांक 30-08-2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। राज्य में भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बढ़ने के दृष्टिगत छ0ग0 शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत COVID-19 के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं COVID-19 के समाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 11999 / न्या.लि. / कोरोना सेल / 2020 रायगढ़ दिनांक 13-08-2020, आदेश क्रमांक 12357 / न्या.लि. / कोरोना सेल / 2020, रायगढ़ दिनांक 22-08-2020 के द्वारा नगर पालिक निगम रायगढ़ के नगरीय सीमा क्षेत्र को दिनांक 30-08-2020 की रात्रि 11:59 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है, को एतद्वारा समाप्त किया जाता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3 / 2020-DM-I(A), दिनांक 30 मई 2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 288 / स.सा.प्र.वि. / 2020, रायपुर दिनांक 31-05-2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 357 / स0सा0प्र0वि0 / 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 18-07-2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन/एडवायजरी के अनुक्रम में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रातः 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सप्ताह में दिन-रविवार को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेन्मेंट/वफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश के साथ) की जा सकेगी।

- 1— परन्तु आगामी पर्यन्त निम्न गतिविधियों रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंधित/अनुमति रहेगी :—
 - (1) उल्लेखित नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्षा, ई-रिक्षा, रिक्षा आदि की सेवाएं सशर्त संचालित की जा सकेगी।
 - (2) कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु स्वेच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि ट्रेवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें।
 - (3) आवागमन स्थलों जैसे :— एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्रियों से कान्टेक्ट ट्रेसिंग के उद्देश्य से ई-पास हेतु आवेदन करने के उपरांत ही आगे यात्रा करें।
 - (4) सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक सशर्त अनुमति होगी, किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे।
 - (5) मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक सायं 05 बजे से रात्रि 07 बजे की जा सकेगी।
 - (6) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक की अनुमति होगी।
 - (7) अस्पताल परिसर की दवाई दुकानें 24X7 संचालित की जा सकेगी। किन्तु अन्य स्थानों पर स्थित सभी दवाई दुकानें प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
 - (8) सभी बार, रिसार्ट, डिस्कोथीक बंद रहेंगी।
 - (9) व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियों।
 - (10) सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।

- (11) समस्त स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समुह में बैठकर या खड़े होकर चर्चा करना प्रतिवंधित रहेगा।
- (12) सार्वजनिक पार्क में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
- (13) क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा।
- (14) सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, थियेटर, तथा ऑडिटोरियम, सामागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिवंध रहेगा।
- (15) सभी सामाजिक / राजनीतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिवंध रहेगा।
- (16) यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहाँ पर भीड़-भाड़ न हो।
- (17) शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रवंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना उद्योग प्रवंधन की जिम्मेदारी होगी।

उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम क्षेत्र रायगढ़ में आयुक्त नगर निगम एवं संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

2— व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय :-

- (1) दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में *Arogya setu app* डाउनलोड करवायें।
- (2) 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें।
- (3) जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौंक चौराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिवंधित रहेगा।
- (4) होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिवंधित रहेगा।
- (5) पेट्रोल पंप एवं रसोई गैस सेवायें संचालित रहेंगी।
- (6) मण्डी पूर्व समयानुसार संचालित रहेंगी।

3— सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्तें :-

- (1) सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
- (2) दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये।
- (3) सोशल डिस्टेंसिंग / फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाये।
- (4) दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।
- (5) दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।
- (6) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिवंधित होगा।
- (7) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिवंधित होगा।
- (8) दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।

- (9) Work from home (WFH) को बढ़ावा दिया जावे।
- (10) संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी विंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे।
- (11) विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें समिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
- (12) अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें समिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
- (13) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सेनेटाईंजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
- (14) कार्यालयीन आदेश दिनांक 20-08-2020 द्वारा दिनांक 25-09-2020 तक जिले की सीमा क्षेत्र के भीतर संचालित समस्त औद्योगिक इकाईयों सहित सेवा एवं व्यवसायिक इकाईयों में अन्य राज्यों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों से नहीं बुलाने (प्रतिबंधित किया गया है) बावत् आदेश जारी किये गये हैं किन्तु विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन की अनुमति से की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी व्यक्तियों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही साथ प्रवासी व्यक्तियों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारेंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- (15) होम क्वारंटाईन का उल्लंघन पाये जाने पर एफ.आई.आर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

दाप्तिक प्रावधान :-

उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

यह आदेश दिनांक 30-08-2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से प्रभावशील होगा।


 (मीम सिंह)
 कलेक्टर
 एवं जिला दण्डाधिकारी,
 रायगढ़ (छ.ग.)


पृ. क्रमांक 12649 -A / न्या.लि. / 2020

रायगढ़, दिनांक 30.08.2020

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर
- 3- सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

- 4— सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन,
5— आयुक्त, बिलासपुर सभाग, बिलासपुर
6— पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर
—की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 7— पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9— मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
10— आयुक्त, नगर पालिका निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11— सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12— उप सचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
13— सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14— सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17— सर्व धाना प्रभारी, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
18— समस्त प्रबंधक/संचालक औद्योगिक संस्थान/कारखाना जिला रायगढ़(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।


 कलेक्टर
 एवं जिला दण्डाधिकारी,
 रायगढ़ (छ.ग.)